तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/1/2026	वकील उभयपक्ष हाजिर। अधि० बहस हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। दिनांक 4/2/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 4/2/2026 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीठासीन साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/2/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) आज्ञा से रीडर
17/2/2026	वकील उभयपक्ष हाजिर। अधि० बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय दिनांक 26/2/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
26/2/2026	वकील उभयपक्ष हाजिर। अधि० बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। संक्षिप्त में विवाद इस प्रकार है कि मौजा पा०जोली तहसील कपासन की आराजी नं० 2069, 2118, 962, 964, 965, 970 स्थित है जो की अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज है व [illegible] जिसका अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान कर दिया गया है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 के वारिसान है अप्रार्थी संख्या 01 ने राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने से व प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने की गरज से प्रार्थीगण की बिना सहमति लिये उक्त आराजियात का विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के नाम निष्पादित करवा दिया। उक्त आराजियात मौरूसी है जिसे अप्रार्थी संख्या 01 को बेचान करने का अधिकार नहीं है। अतः बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

App-A
Crm-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ________ मुकाम ________

________ बनाम ________

मुकदमा ________ नं. .... सन ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	प्रस्तुत पर निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 01 से पचास पेश पर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का उक्त आराजियात मे किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त आराजियात वैधानिक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के खाते दर्ज थी व तन्हा काश्तकार थी जिसे पारिवारिक खर्च व वैध कार्यों मे रूपये की आवश्यकता होने से कर्जा चुकाने के लिये विक्रय की उक्त कर्जा व खर्चे प्रार्थी संख्या 1 के लिये किया गया। साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 सद्भाविक क्रेता है और अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार का खातेदारी की आराजियात विक्रय करने का कानूनन हक अधिकार है। साथ ही निवेदन किया कि अप्रार्थी को अपनी बहन व माता से हक त्याग से प्राप्त हिस्सा स्वयं का है जिसे पैतृक सम्पत्ति नहीं माना जा सकता प्रार्थी को केवल मात्र 1/5 हिस्सा प्राप्त हुआ जो कि कर्जा चुकाने होने से प्रार्थी संख्या 1 को आवश्यकता होने से विक्रय किया गया। अतः खातेदार काश्तकार व सद्भावी क्रेता के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने सम्पूर्ण पत्रावली पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया खातेदार व सद्भावी क्रेता के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उपभोग उपयोग से वंचित किया जाना न्यायहित मे उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं बनता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दफ्तर में जमा हो। आदेश सुनाया गया। [signature] सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़